ऑन लाईन नं. **GCMS 2021/00146**

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 05/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री अतुल अग्रवाल पुत्र श्री बृजलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 109, 8 बी रविन्द्रपथ श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
मैसर्स :– राजस्थान वैरायटी स्टोर, 8 बी रविन्द्रपथ, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर

विक्रेता एवं मालिक

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 11.10.2021**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.11.2020 को दोपहर 12.30 पी. एम. पर फर्म मै. राजस्थान वैरायटी स्टोर, 8 बी रविन्द्रपथ श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर श्री अतुल अग्रवाल पुत्र श्री बृजलाल अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी मकान नम्बर 109, 8 बी रविन्द्रपथ श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को **रोज काजु** बेच रहा था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **रोज काजु** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान में रखे **रोज काजु** 500–500 ग्राम के बिकी हेतु थे। **रोज काजु** वास्ते नमूना जांच 4 डिब्बे लिये जिसके पेटे 2400/– रूपये नगद देकर गवाहान , विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की । ाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रोज काजु** को एक रूप किया एवं इस एक रूप किये हुए **रोज काजु** के लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के–1100 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के–1100 नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे

से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के–1100 **रोज काजु** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता अतुल अग्रवाल ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/238/एक्ट/2020/245 दिनांक 18.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1100 **रोज काजु अमानक स्तर** (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री अतुल अग्रवाल मैसर्स राजस्थान वैरायटी स्टोर, 8 बी रविन्द्रपथ श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **रोज काजु** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 23.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.11.2020 को मेरे प्रतिष्ठान से **रोज काजु** का नमूना लिया गया था जो कि प्लास्टिक के डिब्बे में रखे हुए थे, जिनकी मेरे द्वारा किसी प्रकार की पैंकिग नहीं की गई थी। राजस्थान वैरायटी स्टोर की स्लिप लगी हुई थी एवं अन्दर से डिब्बा खुला हुआ था, जिसे लैब ने पैंकिंग मानकर मिथ्याछाप होना बताया गया था , जो कि गलत है। मेरे द्वारा किसी यप्रकार की पैंकिंग नहीं की जाती है एवं रोज काजू जांच रिपोर्ट में मानक स्तर पर पाये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट व हानिकारक होना नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थी आपसे विनम्र निवेदन करता है कि प्रार्थी को इस प्रकरण से मुक्त करने की कृप्पा करें। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **रोज काजु** का सैम्पल के–1100 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/238/एक्ट/2020/245 दिनांक 18.11.2020 द्वारा **मिस ब्रांण्ड** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

कलक्टर (प्रशासन)

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.11.2020 को मेरे प्रतिष्ठान से **रोज काजु** का नमूना लिया गया था जो कि प्लास्टिक के डिब्बे में रखेा हुए थे, जिनकी मेरे द्वारा किसी प्रकार की पैंकिग नहीं की गई थी। राजस्थान वैरायटी स्टोर की स्लिप लगी हुई थी एवं अन्दर से डिब्बा खुला हुआ था, जिसे लैब ने पैंकिंग मानकर मिथ्याछाप होना बताया गया था , जो कि गलत है। मेरे द्वारा किसी यप्रकार की पैंकिंग नहीं की जाती है एवं रोज काजू जांच रिपोर्ट में मानक स्तर पर पाये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट व हानिकारक होना नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थी आपसे विनम्र निवेदन करता है कि प्रार्थी को इस प्रकरण से मुक्त करने की कृप्पा करें। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **रोज काजु** Sample of "Rose Kaju Proprietary Food bearing Code No. and Sr. No. K-1100 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006 की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त अतुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बृजलाल अग्रवाल – फर्म राजस्थान वैरायटी स्टोर, 8 बी रविन्द्रपथ, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री अतुल अग्रवाल पुत्र श्री बृजलाल अग्रवाल को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000–00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **रोज काजु** बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★